न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 107/2017 दायरा दिनांक : 11.08.2017

उनवान

पाच्या उर्फ पांचू लाल, आयु 70 साल पुत्र हीरा लाल, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी का पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गंगाराम पुत्र कंवरिया, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी का पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1– भंवरी बाई बेवा गंगाराम, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी का पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/2– कान्ती बाई पुत्री गंगाराम, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी का पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– कान्ती बाई पुत्री भंवर लाल पत्नी गंगाराम, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी का पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– व्यवस्थापक एस बी आई शाखा सरेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह एवं श्री बच्चूलाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेश पाटीदार एवं श्री जगदीश लववंशी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 18.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 45/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्ण्य व डिक्री विधि विरूद्ध पत्र संग्रहसार के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निर्णय लोक अदालत में किया है । वादी पांच्या के पिता हीरा लाल थे और हीरा लाल के दो लड़के थे जिसमें बड़ा लड़का नन्दा व छोटा लड़का पाच्या वादी अपीलांट हैं । नन्दा की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी धूली बाई की भी मृत्यु हो चुकी थी नन्दा ला औलाद फौत हुआ । इस कारण वादग्रस्त आराजी पांच्या के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद का निर्णय मेरिट के आधार पर व दस्तावेजों का अवलोकन करके करना चाहिए जिसका अभाव है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी पांच्या के पिता हीरा लाल थे और हीरा लाल के दो लड़के थे जिसमें बड़ा लड़का नन्दा व छोटा लड़का पाच्या वादी अपीलांट हैं । नन्दा की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी धूली बाई की भी मृत्यु हो चुकी थी नन्दा ला औलाद फौत हुआ । रेस्पोडेंट गंगाराम के दत्तक पुत्र बनकर नन्दा की जमीन अपने नाम करा ली तथा वादग्रस्त आरा बेचान भी कर दिया । पांच्या ने डिक्लरेशन का दावा पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा दावा खारिज कर दिया । लोक अदालत में दत्तक पुत्र मानते हुए दावा तय कर दिया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध-अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए । इन्होंने दत्तक पुत्र बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत केम्प बांसखेड़ी में प्रकरण का निस्तारण दिनांक 27.06.2017 को किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.11.2012 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात के मुकर्रर की । पत्रावली में तनकीयात भी कायम की हुई पाई गई । तत्पश्चात दिनांक 12.02.2015 को आदेशिका में अंकित किया गया है कि उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रकरण में अन्तिम बहस होना बाकी है । अतः पत्रावली बहस हेतु मुकर्रर की गई । तत्पश्चात दिनांक 27.06.2017 को लोक अदालत में निर्णय किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब तनकीयात कायम की गई तो प्रकरण का निस्तारण तनकीवार विवेचन करके किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण तनकीवार नहीं करके महज रिकार्ड के आधार पर करने में त्रुटि की है । लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्षकारान राजीनामा प्रस्तुत करके सहमति प्रदान करते हैं लेकिन इस प्रकरण में कोई राजीनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा